



लीज पर परिसर को प्राप्त करने हेतु निविदा दस्तावेज प्रारूप

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची पार्किंग एवं 25 केवीए कनेक्शन जैसे सभी सुविधाओं से युक्त उचित प्रवेश एवं भूतल परिसर के प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त परिसर हेतु पर्सिडिह क्षेत्र एवं उसके आसपास के परिसर धारक / पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों को पर्सिडिह शाखा हेतु लॉग टर्म लीज आधार पर 92.90 से 139.35 वर्ग मीटर ($\pm 15\%$) कारपेट फ्लोर एरिया हेतु लिफाफा बंद संविदा आमंत्रित करता है.

तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली संबंधित प्रारूप को बैंक वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है.

उपरोक्त प्रारूप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में भी उपलब्ध है जिसे कार्यालय समय के दौरान एकत्र किया जा सकता है.

पूर्व योग्यता हेतु न्यूनतम मानधन मानदंड निम्नवत हैं :

- क. आवेदक परिसर का वास्तविक धारक/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होना चाहिए.
- ख. आवेदक पैन संख्या के साथ आयकर निर्धारिती होना चाहिए तथा उनका कर रिटर्न अप टू डेट होना चाहिए.
- ग. भवन का निर्माण सक्षम विकास प्राधिकरण की स्वीकृति / अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाना चाहिए भवन अच्छी स्थिति के साथ ही 20 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.
- घ. परिसर एक अच्छा आवास एवं व्यवसायिक क्षेत्र के तहत भूतल/ प्रथम तल पर सुगम प्रवेश एवं डेडीकेटेड पार्किंग के साथ होना चाहिए.
- ङ. भवन विशेष खतरों जैसे आग, जल भराव, बाढ़ आदि से मुक्त होना चाहिए
- च. 24 घंटे पर्याप्त पीने का पानी की आपूर्ति परिसर में होनी चाहिए स्थानीय नगरपालिका के अधिकारियों की उचित अनुमोदन प्राप्त होनी चाहिए
- छ. मकान मालिक द्वारा निगम रेवेन्यू प्राधिकारी के सभी बकाया तथा संवैधानिक दायित्व निपटान किया जाना चाहिये.
- ज. परिसर को लीज पर देते समय परिसर (अपार्टमेंट के संदर्भ में) स्थानीय प्राधिकारी के अधिभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध होने चाहिए
- झ. मकान मालिक बैंक के द्वारा बतलाए गए आवश्यक परिवर्तन के तुरंत बाद परिसर को खाली कर देने की स्थिति में होनी चाहिए

1. निविदा प्रस्तुत करने की विधि : निविदा केवल मुहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए.

निविदा कवर के तीन भाग होंगे

प्रथम कवर- तकनीकी बोली कवर - इसके तहत आवश्यक अनुलग्नक ओं के साथ-साथ सभी पृष्ठों पर बोली लगाने वाले द्वारा भरी गई और हस्ताक्षरित आवेदन के भाग 1 शामिल होगा. लिफाफा मुहर बंद किया जाना चाहिए तथा उसके ऊपर पर्सिडिह शाखा परिसर हेतु तकनीकी बोली (संलग्नक ए के अनुसार) लिखा जाना चाहिए साथी बोली लगाने वाले कानाम एवं पता भी लिफाफे पर लिखा होना चाहिए

द्वितीय कवर- वित्तीय बोली कवर - इस कवर में में बोली लगाने वाले द्वारा सभी पृष्ठों में हस्ताक्षरित आवेदन का भाग 2 होना चाहिए इस लिफाफे को मुहर बंद करके उसके ऊपर पर्सिडिह शाखा परिसर के लिए वित्तीय बोली लिखा जाना चाहिए साथ में बोली लगाने वाले का नाम एवं पता भी लिखा होना चाहिए.

तृतीय कवर - दोनों प्रथम एवं द्वितीय कवर को तीसरे कवर में रखा जाना चाहिये तथा लिफाफे के ऊपर पर्सिडिह शाखा परिसर हेतु के लिये मुहरबंद निविदा जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सप्रवि विभाग क्षेत्रीय कार्यालय रांची, कृष्णा आर्केड 2 तल, बंटी मोड, रांची -834012 प्रेषित किया जाना चाहिये .





2. निविदा जमा करने की अंतिम तारीख : 04.02.2022 4 बजे अपराह्न
3. जमा करने का स्थान : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय राँची, कृष्णा आर्केड 2 तल, बुटी मोड, राँची -834012
4. निविदा दिनांक 05.02.2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में खोला जायेगा
5. विडर इस बात को सुनिश्चित कर लें कि बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के तहत ही निविदा प्राप्त कर ली गई है . इस संदर्भ में डाक या किसी भी तरह के विलंब पर विचार नहीं किया जायेगा . निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है यह निर्णय बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है .
6. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किये गये किसी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बतलाये हुये स्वीकार/अस्वीकार या निरस्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित होगा एवं न्यूनतम विडर नहीं होने के बावजूद तकनीकी रूप से सक्षम विडर को जैसा बैंक उचित समझे आदेश निर्गत करने का अधिकार भी बैंक के पास सुरक्षित है .
7. केवल शर्तरहित निविदा ही स्वीकार की जायेगी कोई भी शर्त निविदा अस्वीकृति के लिये जिम्मेवार होगा. कोई भी विडर को वित्तीय निहितार्थ के किसी भी शर्त को लागू कराने की इच्छा को उचित रूप से लोड करना चाहिये एवं निविदा में किसी भी तरह के शर्त नहीं लगाना चाहिये
8. बैंक अपनी जरूरत यथा प्रस्तावित स्थान के इलाके प्रस्तावित सड़क मुख्य सड़क से पहुंचपार्किंग की जगह आदि सुविधाएं एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं लिस्ट आदि से संबंधित सूचना तकनीकी बोली निविदा में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर छांट लेगा.
9. तकनीकी बोली पर आधारित प्रस्ताव की संक्षिप्त सूची के बाद वित्तीय बोली खोली जाएगी वित्तीय बोली केवल उन शाटलिस्ट किए गए ऑफर के लिए भविष्य की तारीख में खोली जाएगी तथा बाद की तारीख में शाटलिस्ट विडरों को सूचित किया जाएगा.
10. संभावित प्रस्ताव के चयन पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा.
11. विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा.
12. किराया - बैंक मकान मालिक से कब्जा लेने की तारीख से किराए का भुगतान करना प्रारंभ करदेगा. कब्जा लेने से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा कि उपर्युक्त अधिकारियों से अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा जिन परिवर्तनों को करने के लिए मकान मालिक द्वारा सहमति व्यक्त की गई है उसे बैंक की संतुष्टि तक किया गया है या नहीं. फ्लोर एरिया के आधार पर परिसर का संयुक्त माप लिया जाएगा.
13. लीज दस्तावेजों का निष्पादन: एकबार लीज पर परिसर को लिये जाने के बाद बैंक के मानक लीज प्रारूप के अनुसार लीज कानिष्पादन किया जाएगा तथा पंजीकरण संबंधित स्टॉप शुल्क 50: 50 के अनुपात मकान मालिक एवं बैंक के द्वारा वहन किया जाएगा.

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

अजय कुमार सिंह
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक

